भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः23 सितंबर,2025

<u>जांच की शुरूआत के संबंध में अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्या एडी(ओआई) -22/2025</u>

विषय: चीन जन.गण. और थाईलैंड साम्राज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. सं.6/25/2025: मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क(पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. ("चीन") और थाईलैंड साम्राज्य ("थाईलैंड") से "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु अथवा पीयूसी" भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन किया गया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

2. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "एथेम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है। यह एक जीवाणुनाशक औषधि है जिसका आणविक सूत्र सी10एच *सी*$_{10}$*एच*$_{24}$*एन*$_{2}$*ओ*$_{2}$. 2 *एचसीएल*है। यह एथेमबुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण है, जो एक शुद्ध यौगिक (मुक्त

क्षार) है। एथेमबुटोल एक तैलीय द्रव के रूप में पाया जाता है जिसकी जल में घुलनशीलता कम और स्थायित्व सीमित होता है। इसे गोलियों और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे एथेमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) नामक लवण रूप में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद को दोनों रूपों में भारत में आयात किए जाने पर शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

3. इस उत्पाद का मुख्य उपयोग फेफडों संबंधी तपेदिक (टीबी) के उपचार में होता है। इसे आमतौर पर दवा प्रतिरोध को रोकने के लिए अन्य टीबी-रोधी दवाओं के साथ संयोजन चिकित्सा के भाग के रूप में दिया जाता है।

4. संबद्ध वस्तुओं को अध्याय 29, शीर्ष 2905 "एथेम्बुटोल, एथेमबुटोल एचसीएल" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप-शीर्ष 29051490 के अंतर्गत किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में, सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक उद्देश्यों के लिए है और शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए वस्तुओं का विवरण ही मान्य होगा।

5. आवेदक ने संबद्ध वस्तु के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) अपनाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश्य हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की तकनीकी विशिष्टताओं, प्रकार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न योग्य हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इसलिए,

वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

8. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

9. यह आवेदन मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने बताया है कि आवेदक के अलावा, भारत में विषयगत वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयातक है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से इसकी पुष्टि की गई है और पाया गया है कि कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने जांच अवधि में कम मात्रा में पीयूसी का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आवेदक ने दावा किया है, थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बंद कर दिया है। इसलिए, ल्यूपिन लिमिटेड भारत में कुल पात्र घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है।

10. इस निदेशालय ने 22 अगस्त 2025 के ईमेल के माध्यम से मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड को विषयगत वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित जानकारी, जैसे विनिर्माण क्षमता, उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री, पीयूसी की आयात मात्रा, यदि कोई हो, को स्पष्ट करने और प्रदान करने के लिए कहा। हालांकि, दोनों कंपनियों की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

11. प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक देश के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नियम 2(b) के

अर्थ में याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन उपर्युक्त नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण और थाईलैंड साम्राज्य हैं।

ड. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

13. वर्तमान जाँच के प्रयोजन हेतु जाँच अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। क्षति की जाँच अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की अवधियां और जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. <u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

i. <u>सामान्य मूल्य</u>

क) चीन के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के आरोहण नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी जानकारी बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

15. आवेदक ने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत या वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, और लाभ के लिए उचित योग के साथ भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभों को विधिवत समायोजित

करने के पश्चात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है।

ख) थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास थाईलैंड में उत्पादकों के उत्पादन की वास्तविक लागत के संबंध में घरेलू बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य अथवा सूचना तक पहुंच नहीं थी। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित किया गया है। जाँच की शुरुआत करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित करने के बाद, संबद्ध वस्तुओं के लिए थाईलैंड में सामान्य मूल्य तय किया है।

ii. निर्यात कीमत

17. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात कीमत की गणना डीजी प्रणाली के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। संबद्ध देशों के लिए कीमत समायोजन का दावा समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पोर्ट व्यय और कमीशन के आधार पर किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह सिद्ध होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में बहुत अधिक है। इस प्रकार, पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप</u>

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हुई होती। घरेलू उद्योग को कम आयात कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी बाजार

हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो क्षति की अवधि में और बिगड़ गई है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जाँच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. <u>जाँच की शुरुआत</u>

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि करते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पाटन-रोधी जाँच शुरू करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. वर्तमान जाँच में इस नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार, और भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी

द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा-निर्धारित रूप में और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जाँच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जानकारी और जाँच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी जानकारी, नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in ईमेल पतों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएँ और उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें। जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है

कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध अस्वीकृत हो जाएगा।

30. ये अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय रूपांतर में वह सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या जहाँ (सूचीबद्ध करना संभव न हो), वहाँ रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए, और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस बात का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

34. हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार, बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण कथन के, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित

व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अस्वीकार कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथा-उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं, जिसे वह उपयुक्त मानें।

सिद्धार्थ -

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी